

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 107 / 15

संस्थापन दिनांक:-16 / 03 / 15

फाईलिंग नं. 233504001512015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सुभाष पिता भूता
उम्र 35 वर्ष, निवासी सलैया सारणी,
थाना सारणी, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-
(आज दिनांक 19.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2015 को समय 15:30 बजे या उसके लगभग बाजार चौक रमली थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.03.2015 को प्रधान आरक्षक मंगलमूर्ति को ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रमली बाजार चौक पर अभियुक्त हाथ में लोहे का बल्लमनुमा छुरा लहराते शराब के नशे में आम लोगों को डरा धमका रहा है। तब वह रहागीर साक्षी को लेकर मौके पर पहुंचा वहां अभियुक्त द्वारा अवैध शस्त्र रखने के संबंध में कागजात न होना बताया जिस पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 99/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 आरोपी द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को समय 15:30 बजे या उसके लगभग बाजार चौक रमली थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.03.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए ग्राम भ्रमण के दौरान उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह साक्षी अशोक (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) को लेकर बताये गये स्थान बाजार चौक रमली पहुंचा तो वहां पर अभियुक्त हाथ में बल्लमनुमा छुरा लहराते हुए मिला। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मौके पर ही गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे का छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 99/15 प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की थी। साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया लोहे का बल्लमनुमा छुरा आर्टिकल-ए-1 है।

6 अशोक (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साथ ही साक्षियों ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अशोक (अ.सा.-1) एवं संजू (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 मंगलमूर्ति (अ.सा.-2) ने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर अभियुक्त से छुरा जप्त करना, उसे गिरफ्तार करना बताया है। उक्त

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा आयुध का नाप किससे किया गया था परंतु साक्षी ने यह बताया है कि उसने टेप से नापकर जप्ती बनायी थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में जप्ती पत्रक में नमूना सील लगाया जाना बताया है परंतु साथ ही बचाव के इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि उसने जप्तशुदा आयुध पर सील नहीं लगायी थी। प्रकरण में वापसी रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श प्री-5) पेश किया गया है जिसमें थाने में वापसी का समय 14:05 बजे लेख है जबकि जप्ती पत्रक में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 15:30 बजे की गयी है। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय थाना वापस होने के समय के पश्चात का है। जबकि जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मौके पर ही की जाकर थाना वापस आकर आगे की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक में अपराध क्रमांक लेख होने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। अतः एकमात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि कथित जप्तशुदा आयुध अभियुक्त से ही जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2015 को 15:30 बजे या उसके लगभग बाजार चौक रमली थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे का धारदार छुरा प्रतिबंधित आकार का बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त सुभाष को धारा 25(1-बी)बी सह पठित धारा 4 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का धारदार छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)